न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/147
दायरा तिथि : 16.08.2023
आदेश तिथि : 28-01-2026

प्रार्थी :–

कनिंगाराम पुत्र गीतारामजी जाति मीणा निवासी दूदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. बाबूलाल पुत्र केसारामजी
2. खीमाराम पुत्र केसारामजी जातिगण मेघवाल निवासीगण रूगनाथपुरा तहसील बाली

उपस्थिति:–

श्री मूलसिंह यादव..............................अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
श्री नरपतसिंह चौहान........................अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से
नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 28-01-2026

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 538 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 521/1 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 521/3 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नंबर 522 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 537 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 520 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नंबर 521/2 रकबा 0.3000 हैक्टर व खसरा नंबर 521/4 रकबा 0.4400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/941 दिनांक 09.04.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत में कटान मार्ग खसरा नंबर 538 तक आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	520	0.16 हैक्टर	बारानी दोयम	08X05=40 वर्गमीटर	खीमाराम पुत्र केसाराम, जाति मेगवाल सा देह रघुनाथपुरा
2	521/4	0.44 हैक्टर	बारानी दोयम	60X05=300 वर्गमीटर	खीमाराम पुत्र केसाराम, जाति मेगवाल सा देह रघुनाथपुरा
3	521/3	0.26 हैक्टर	बारानी दोयम	32X05=160 वर्गमीटर	बाबूलाल पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी रघुनाथपुरा
4	522	0.17 हैक्टर	बारानी दोयम	24X05=120 वर्गमीटर	बाबूलाल पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी रघुनाथपुरा
5	527	0.27 हैक्टर	बारानी दोयम	48X05=240 वर्गमीटर	बाबूलाल पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी रघुनाथपुरा

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/147
अनवान कनियाराम बनाम बाबूलाल वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,60,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण को जवाब/आपत्ति पेश करने हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब/आपत्ति पेश करने में विफल रहने पर इनका अवसर बंद किया गया। उपरिथत वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 538 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 538 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 521/3 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नंबर 522 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 537 रकबा 0.2700 हैक्टर, खसरा नंबर 520 रकबा 0.1600 हैक्टर व खसरा नंबर 521/4 रकबा 0.4400 हैक्टर में से **160+120+240+40+300=860 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,60,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
520	0.16 हैक्टर	08X05=40 वर्गमीटर	16	640X2=1280	खीमाराम पुत्र केसाराम, जाति मेगवाल सा देह रघुनाथपुरा
521/4	0.44 हैक्टर	60X05=300 वर्गमीटर	16	4800X2=9600	खीमाराम पुत्र केसाराम, जाति मेगवाल सा देह रघुनाथपुरा
521/3	0.26 हैक्टर	32X05=160 वर्गमीटर	16	2560X2=5120	बाबूलाल पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी रघुनाथपुरा
522	0.17 हैक्टर	24X05=120 वर्गमीटर	16	1920X2=3840	बाबूलाल पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी रघुनाथपुरा
527	0.27 हैक्टर	48X05=240 वर्गमीटर	16	3840X2=7680	बाबूलाल पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी रघुनाथपुरा

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 27520/– (अक्षरे सताईस हजार पांच सौ बीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

पेज लगातार...........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/147

अनवान कनियाराम बनाम बाबूलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(विनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/161-165

दिनांक : 30-01-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक कनियाराम पुत्र गीतारामजी जाति मीणा निवासी दूदनी तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 19/03/2025 11:31:14 PM

ला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

ा : दूदनी

ग्राम : रूगनाथपुरा

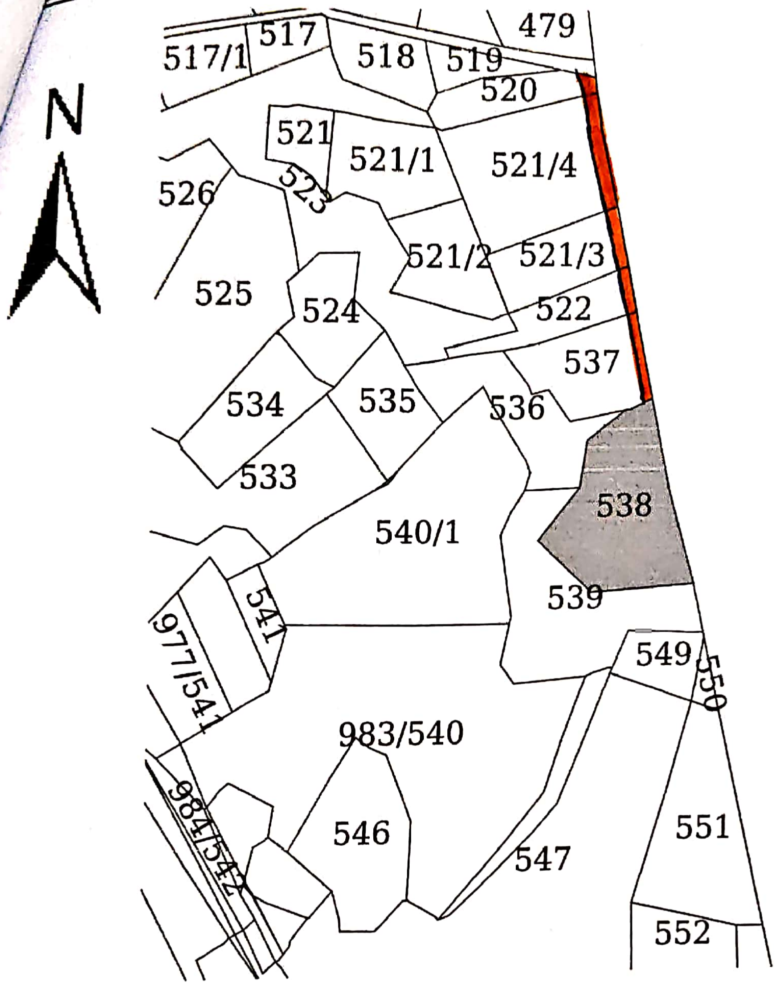

Scale 1:4000

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

खसरा संख्या :538 क्षेत्रफल : 0.5200 Hectare खाता संख्या : 234पुराना खाता संख्या :17

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोयम [0.5200, 2.60]

1.) कनिया राम पुत्र गीता राम जी हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा.दुदनी तहसील बाली पाली खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार,बाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

कनियाराम

Scanned with OKEN Scanner